प्रार्थना

अत: श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त केस को उपरोक्त समझौते के अनुसार निर्णीत किया जाकर समझौते एवम संलग्न नक्शा समझौते को डिक्री का भाग बनाये जाने की कृपा की जाय, अति कृपा होगी ।

विपक्षीगण

(1) रहीसपाल सिंह
पुत्र श्री दुलीप सिंह
निवासी-दुर्गेश कालोनी,
अलीगढ़ ।

(2) श्रीमति मन्जू सिंह
पत्नी श्री रहीसपाल सिंह
निवासी- दुर्गेश कालोनी,
अलीगढ़ ।

(3) चुन्नी लाल
पुत्र श्री हीरा लाल
निवासी- नगला तिकौना,
अलीगढ़

(4) विक्रम सिंह
पुत्र श्री बाई0पी0सिंह
मैनेजिंग डाइरेक्टर वाइगस इन्फ्रा स्टेक्चर प्राइवेट लिमिटेड
निवासी-5/39आई0टी0आई0 गेट के सामने, अलीगढ़ ।

वादीगण

(1) श्याम बाबू
पुत्र श्री मदन मोहन
निवासी- चंदनिया चौक, अलीगढ़।

(2) दुलीप सिंह
पुत्र श्री रामेश्वर दयाल
निवासी- चंदनिया चौक,
अलीगढ़ ।

सत्य प्रतिलिपि
22-5-26
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, अलीगढ़

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 18/5/26
नकल तैयार होने का दिनांक 21/5/26
नकल देने का दिनांक 22-5-26

नकल नवीस के हस्ताक्षर
मिलान करने के हस्ताक्षर
नकल शब्द की संख्या

दिनांक= -5-2010

(स)-यह कि नक्शा समझौता में पीले रंग से दर्शित भाग के मालिक व काबिज चुन्नी लाल प्रतिवादी है और भविष्य में रहेगें। अर्थात नक्शा समझौता में पीले रंग से दर्शित भाग चुन्नी लाल का है।

(द)- यह कि नक्शा समझौता में हरे रंग से दर्शित भाग के मालिक व काबिज रहीसपाल सिंह पुत्र श्री दुलीप सिंह निवासी दुर्गेश कालोनी अलीगढ़ व उनकी पत्नी मन्जू सिंह संयुक्त रूप से मालिक व काबिज है तथा भविष्य में रहेगें। अर्थात नक्शा समझौता में दर्शित हरे रंग का कुरा रहीसपाल सिंह व उनकी पत्नी मन्जूसिंह का है।

(य)- यह कि नक्शा समझौता में पक्षकारों के भूभाग को पृथक- पृथक खाता संख्या- 404 के सम्बन्ध में दर्शा दिया गया है तथा नक्शा समझौता डिगरी का अंग रहेगा।

(र)- यहकि नक्शा समझौता में दर्शित पृथक भूभाग के सम्बन्ध में एक दूसरे पक्षकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा, तथा कुरेजात में आये हुऐ भूभाग पक्षकार जिस तरह चाहे उस तरह प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगें।

(ल)- यह कि पक्षकारवाद व्यय स्वयं अपना- अपना वहन करेगें

(VIKRAM SINGH) Director

रहीसपालसिंह मंजूसिंह चुन्नीलाल

---- 3

प्रार्थना पत्र सं० 7295
रिपोर्ट 1050

कार्यालय राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट अलीगढ़।
ग्राम – असदपुर क्याम
प०प० तह० – कोल – अलीगढ़
ता० डिक्री – 24.5.10

नकल प्रारम्भिक डिक्री दि०-26-5-10

न्यायालय उप जिलाधिकारी /सहा०कलैक्टर प्र०श्रे० कोल,अलीगढ।

वाद सं०–327

संस्थित दिनांक–02–1–2010,

अन्तर्गत धारा– 176 ज०वि०एंव भू० व्यव० अधि०।

1–श्री श्यामबाबू पुत्र मदनमोहन व दिलीप कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल निवासीगण चंदनिया चौक शहर अलीगढ।................वादी।

वनाम

1– श्री रहीसपाल सिंह पुत्र दिलीप सिंह 2–श्रीमती मुजू कुमार पत्नी रहीसपाल सिंह निवासीगण दुर्गेश कालोनी 3–श्री चुन्नीलाल पुत्र हीरालाल निवासी नगला तिकोना शहर अलीगढ।

4–वाइगस इन्फा स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड मैंनेजिंग डाययरेक्टर श्री विक्रम सिंह पुत्र वाई0पी0 सिंह निवासी 5/39 आई0टी0आई0 गेट के सामने अलीगढ। ....प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष।

5– ग्राम सभा असदपुर क्याम द्वारा ग्राम प्रधान/अध्यक्ष भ0प्र0स0 असदपुर क्याम परगना व तहसील कोल तहसील कोल जिला अलीगढ।.......प्रतिवादी द्वितीय पक्ष।

प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 176ज0वि0एंव भूमि व्यव0 अधिनियम सन् 1950 बावत विवादित स्थित भूमि खाता सं0 14 गाटासं0 404 रकवा 1.416है0 लगानी 35.00 रू0 मौजा असदपुर क्याम परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ।

आज यह वाद निर्णय अन्तिम हेतु न्यायालय उप जिलाधिकारी /सहा0 कलेक्टर प्रथम श्रेणी कोल अलीगढ के समक्ष उपस्थित श्री आर0के0 पाठक एडवोकेट वादी की ओर से तथा श्री बृजेन्द्र पाल सिंह व श्री शैलेन्द्र कुमार पचौरी एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत होकर आदेश दिनांक 24–5–2010 को हुआ कि वाद में वर्णित विवादित भूमि मौजा असदपुर क्याम परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ के खाता सं014 गाटासं0 404 रकवा 1.416है0 लगानी 35.00 रुपये मे वादी श्यामबाबू का 1121/1416 भाग व वादी सं0–2 दिलीप कुमार का 1121/1416 भाग व प्रतिवादी सं0–1 रहीसपाल सिंह का 3059/1416 भाग व प्रतिवादी सं0–2 श्रीमती मन्जू कुमारी का 1297/1416 भाग व प्रतिवादी सं0–3 चुन्नीलाल का 641/1416 भाग व प्रतिवादी सं0–4 विकम सिंह का 6917/1416 भाग घोषित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद व्यय अपना –अपना स्वंय वहन करेगें। आज यह डिकी दिनांक 26–5–2010 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से निर्गत हुई।

26.5.10

(राजस्व अहलमद)
26.5.10

(ज्ञानेन्द्र सिंह)
उपजिलाधिकारी/सहा0कलैक्टर प्र0श्रे0
कोल,अलीगढ।

प्रार्थना पत्र देने का दिनाक 18/4/26
नकल तैयार होने का दिनांक 21/4/26
नकल देने का दिनांक 22.4.26

नकल नवीस के हस्ताक्षर ....
मिलान करने के हस्ताक्षर ....
नकल शब्द की संख्या ....

सत्य प्रतिलिपि
22.4.26
राजस्व अभिलेखागार
कलैक्ट्रेट अलीगढ़

नकल प्रा० 7295
प्राप्ति-4 / 1360

कार्यालय राजस्व अभिलेखागार कलक्ट्रेट, अलीगढ़

1121

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहा0कलैक्टर,प्रथम श्रेणी कोल,अलीगढ।

वाद सं0–327 — अन्तर्गत धारा– 176 ज0वि0 एंव भूमि व्यव0अधि0
मौजा–असदपुर क्याम — परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ।
श्यामवाबू आदि — वनाम — रहीसपालसिंह आदि — ता० 24-5-10

नकल निर्णय दि० 24.5.2010.

प्रस्तुत वाद धारा–176 ज0वि0एवं भूमि व्यव0अधि0 के अन्तर्गत श्री श्यामबाबू पुत्र मदनमोहन व दिलीपकुमार पुत्र रामेश्वर दयाल निवासीगण चंदनियाँ चौक शहर अलीगढ परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ द्वारा दिनांक 02–1–2010 को योजित किया गया है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अकिंत किया गया है कि मौजा असदपुर क्याम परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ के खाता सं0–14 के गाटा सं0 404 रकवा 1.416है0 लगानी 35–00 रुपये वार्षिक पर वादी व प्रतिवादी वतौर सहखातेदार संकमणीय भूमिधर काविज व दखील है। वादीगण व प्रतिवादीगण में जुताई बुवाई एंव लगान आदि वॅटवारा के वावत विवाद वना रहता है। जिससे वादीगण अपने हिस्से की भूमि का पूरा लाभ नहीं उठा पाता है। इस कारण उक्त वाद दायर किया गया है। प्रार्थना की है कि वादीगण का कमशः 1121/1416, 1121/1416 भाग घोषित कर प्रारम्भिक डिकी निर्गत करने की कृपा करें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर नियमानुसार सम्मन जारी किये गये , वाद तामील सम्मन मिसिल हुए, प्रतिवादी सं02 श्रीमती मन्जूकुमारी ने अपनी आपत्ति दिनॉक 08–3–2010 में कहा है कि वाद पत्र में वर्णित अंशों पर असहमति व्यक्ति की गयी है । इसके वाद दिनॉक 13–5–2010 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिवादीगण श्री रहीसपालसिंह ,श्रीमती मन्जूसिंह ,चुन्नीलाल, विकमसिंह एवं वादीगण श्री श्यामबाबू व दुलीप कुमार व्दारा एक समझौता प्रार्थनापत्र मय नक्शा नजरी के प्रस्तुत किया है जिसके कहा है कि वाद पत्र में वर्णित अंशो पर सभी पक्षगण सहमत है और न्यायालय में उपस्थित होकर सहमति के हस्ताक्षर किये गये ,तदानुसार वादीगण का वाद पत्र डिकी किया जाय ।

पत्रावली पर उपलब्ध सभी अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया , विद्वान अधिवक्ता का कथन है ,कि वाद पत्र में वर्णित अंशो पर कोई आपत्ति नहीं है ,सभी पक्षगण व्दारा समझौता प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर वादीगण का वाद डिकी किया जाय । अतः उपरोक्त के दृष्टिगत वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा असदपुर क्याम परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ के खाता सं0–14 के गाटा सं0 404 रकवा 1.416है0 लगानी 35–00 रुपये वार्षिक में वादी सं01 श्यामवावू का 1121/1416 भाग व वादी सं02 दिलीपकुमार का 1121/1416भाग व प्रतिवादी सं01 रहीसपालसिंह का 3059/1416भाग व प्रतिवादी सं02 श्रीमती मन्जूकुमारी का 1297/1416भाग व प्रतिवादी सं03 चुन्नीलाल का 641/1416 भाग व प्रतिवादी सं04 विकमसिंह का 6917/1416 भाग घोपित किया जाता है तदानुसार प्रारम्भिक डिकी जारी हो, वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

24-5-10

(ज्ञानेन्द्र सिंह)
उप जिलाधिकारी/सहा0कलैक्टर प्र0श्र0
कोल,अलीगढ

दिनांकः–24–5–2010,

उक्त निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्तांक्षरित एंव उदघोषित किया गया है।

24-5-10

उप जिलाधिकारी /सहा0कलक्टर प्र0श्र0
कोल,अलीगढ।

दिनांकः–24–5–2010

सत्य प्रतिलिपि
22.4.26
राजस्व अभि
कलेक्ट्रेट

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 18/4/26
नकल तैयार होने का दिनांक 21/4/26
नकल देने का दिनांक 22.4.26

नकल नवीस के हस्ताक्षर
मिलान करने के हस्ताक्षर
नकल शब्द की संख्या

कार्यालय रजिस्ट्रार कानूनगो ..., अलीगढ़

संख्या 7295
व्यय 10.00

न्यायालय श्रीमान उप-जिलाधिकारी महोदय (कोल), अलीगढ़ ।

वाद संख्या- 327 सन् 2010

श्याम बाबू आदि बनाम रहीसपाल सिंह आदि

अ० धा० = 176/182 जे०ए०एल०आर०एक्ट

मौजा- अलदपुर श्याम, तहसील- कोल,

जिला- अलीगढ़ । तारीख 24-5-10

श्रीमान जी,

नकल समझौता मिनजानिब पक्षकारान 10/-

1- यह कि वादीगण ने उपरोक्त वाद गाटा संख्या-301 स्थित अलदपुर श्याम तहसील कोल जिला अलीगढ़ के सम्बन्ध में बंटवारे हेतु बहैसियत सह-भूमिधर श्रीमान जी के न्यायालय में दायर किया है जिसमें पक्षकारों के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर बंटवारे सम्बन्धी समझौता हो गया है -

(अ)-यह कि समझौते के साथ संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शित भाग के मालिक व काबिज वाइगल इन्फ्रा स्टेक्चर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा द्वारा मैनेजिंग डाइरेक्टर विक्रम सिंह पुत्र श्री पी० पी० सिंह है और भविष्य में रहेगें । यानि कि लाल रंग से दर्शित नक्शा भाग इनके कुरे में है ।

(ब)-यह कि नक्शा समझौता में दर्शित नीले रंग के भाग के मालिक व काबिज संयुक्त रूप से श्याम बाबू पुत्र श्री मदन सिंह एवं दिलीप कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दयाल हैं है और भविष्य में रहेंगे । अर्थात नक्शा समझौता में नीला रंग से दर्शित भाग इनके कुरे में रहेगा ।

(VIKRAM SINGH)

श्यामबाबू

रहीसपालसिंह मंजूसिंह चुन्नीलाल

Dilip Kumar

---2

स्थल- असदपुर कयाम परगना व तहसील - कोल जिला- अलीगढ़। गाटा नं.- ५०५

- (लाल) वाइगस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री विक्रम सिंह रकबा 0.6917 है.
- (नीला) श्री श्याम बाबू व श्री दिलीप सिंह रकबा 0.2242 है.
- (पीला) श्री चुन्नीलाल रकबा 0.0641 है.
- (हरा) श्री रईसपाल सिंह व मंजू सिंह रकबा 0.4356.